न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन सं0 229/26

जयराम रजक, पे0–मंगल रजक
साकिन–गुलेरिया बिगहा, थाना–बेन, जिला–नालंदा.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

10.03.2026

बेन थाना काण्ड सं0 278/2025 अंतर्गत धारा– 25(1-B)(a),26 शस्त्र अधिनियम के आवेदक अभियुक्त जयराम रजक की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी। आवेदक दिनांक–23.12.2025 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक का जमानत आवेदन श्री राजा साह, विद्वान् न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा दिनांक–30.01.26 को खारिज किया गया है।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचक रविराज सिंह, पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष, बेन थाना के टंकित आवेदन के आधार पर बेन थाना कांड संख्या–278/2026 दर्ज किया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। वह दिनांक–23.12.2025 से कारा अभिरक्षा में है। वे अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। वह न्यायालय के सभी आदेश को मानने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है।

सूचक रविराज सिंह,पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष, बेन थाना के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक–22.12.25 को समय 20:15 बजे सशस्त्र बल 01 सि0–504 दीपक कुमार, 02 सि0–1043 अनिल चौधरी के साथ संध्या गस्ती आसूचना संकलन में थाना से प्रस्थान किये। गस्ती के क्रम में डाक बाबा स्थान के पास थे तो मोबाईल पर गुप्त सूचना मिला कि गुलेरिया बिगहा में एक व्यक्ति जयराम रजक हाथ में देशी कट्टा लेकर अपने घर के गली में लोगों को गाली गलौज करते हुए डरा एवं धमका रहे हैं। वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन करने के लिए गुलेरिया बिगहा पहुँचे तो पुलिस को आता देख एक व्यक्ति अपने घर की ओर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम जयराम रजक बताया। पकड़ाये हुए व्यक्ति के घर की तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा बरामद हुआ, जिसके बट की लंबाई05 अंगुली, बॉडी की लंबाई 06 अंगुल तथा बैरल की लंबाई 09 अंगुल जिसके बट पर रिपीट मारकर लकड़ी का प्लेट चिपकाया हुआ था। जप्ती सूची बनाकर, पकाड़ाये व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

नियमित जमानत आवेदन सं0 229/26

जयराम रजक बनाम बिहार सरकार

लगातार

10.03.2026

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक जयराम रजक के विरूद्ध अभियोग है कि उसके पास से एक देशी कट्टा बरामद हुआ। केस दैनिकी के कंडिका—2 में सूचक तथा कंडिका—04 एवं 05 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा— 25(1-B)(a),26 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। केस दैनिकी के कंडिका—20 के अवलोकन से प्रतित होता है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक—23.12.25 से कारा अभिरक्षा में है। इस स्थिति में आवेदक जयराम रजक को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक अभियुक्त जयराम रजक की ओर से 15000/—रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंध पत्र निष्पादित करने के उपरान्त जमानत पर मुक्त किये जाने का **आदेश** इस शर्त पर दिया जाता है कि :—

1. आवेदक के एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे।
2. आवेदक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे कि उनके विरूद्ध इस केस के अलावा अन्य कोई केस लंबित नहीं है।
3. वे भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे।
4. आवेदक वाद के अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/—
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश—षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।